



मानवता परिवार

आपका सहयोग, परिवार का सहारा

पत्रांक- MP/DO-6/2024-25

दिनांक- 11/07/2025

वैलिड/वैधानिक सदस्य पत्र

प्रिय राजेश कुमार,

आपके एक्सीडेंट होने की सूचना मानवता परिवार और मानवता परिवार की संपूर्ण टीम को प्राप्त हुई, जिसे जानकर बहुत ही दुःख हुआ। हम आपके अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस दुःख की घड़ी में संपूर्ण मानवता परिवार आपके साथ है।

आप MP001099 - राजेश कुमार - निवासी-गुलाबपुरा, जाफराबाद, ब्लॉक- खजुहा -, तहसील - बिंदकी - जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश दिनांक 16/04/2025 जुड़े हुए हैं।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत पाया गया कि राजेश कुमार जी का एक्सीडेंट दिनांक 03/07/2025 को हुआ। जिनका इलाज कानपुर के उमराव हॉस्पिटल में दिनांक 3 जुलाई 2025 से 5 जुलाई 2025 तक हुआ है। जांच में एक्सीडेंट की घटना, हॉस्पिटल के पर्चे, एक्सरे और बिल सही पाया गया।

राजेश कुमार आप ने एक्सीडेंटल इलाज का लॉकिंग पीरियड 30 दिन का पूरा कर लिया है। आप एक्सीडेंटल इलाज का दावा करने वाले मानवता परिवार के पहले सदस्य हैं। इसलिए राजेश कुमार जी आप पर मृतक नॉमिनी, सहयोग, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी / गंभीर एक्सीडेंट में 80% सहयोग करने का नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि संस्था द्वारा आज दिनांक 11/07/2025 तक मृतक नॉमिनी सहयोग, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी / गंभीर एक्सीडेंट में सहयोग नहीं कराया गया है।

अतः आप मानवता परिवार के वैलिड सदस्य हैं। आपके द्वारा एक्सीडेंटल इलाज में खर्च की गई रुपये 26034.00 की धनराशि आपके खाते में दिनांक 11 जुलाई 2025 को रात 12:00 बजे से पहले आनलाइन माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। जिसका लेन-देन विवरण आपको व्हाट्सएप पर प्रेषित कर दिया जाएगा साथ ही संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्य वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकेंगे।

धन्यवाद

विनोद कुमार चक्रवर्ती

प्रदेश प्रभारी - मानवता परिवार